7.11.16 पत्रावली आज दिनांक 7.11.2016 को अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। अपीलांट मय वकील उपस्थित। रेस्पोंडेंट सं. 1 व 2 के वकील उपस्थित। अपीलांट मय उसके वकील ने प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि उक्त प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोंडेंट के मध्य जो विवाद था, उसे आपसी समझाईश से सुलझा लिया है, हमारे मध्य राजीनामा हो चुका है इसलिये उक्त अपील को इसी स्तर पर जरिये राजीनामा डिक्री करवाना चाहते है अपील जरिये राजीनामा डिक्री खारिज किया जावे।

इस पर हमने अपीलांट एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ता गण को सुना एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील रेस्पोंडेंट के विरुद्ध मौजा छोटू के ख.नं. 501 रकबा 137 बीघा 13 बिस्वा, ग्राम सांवलासर के ख.नं. 477

ओमप्रकाश

L.T.
हुकमारा

ADV.
रेस्पोंडेंट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा एवं ग्राम महादेव मंदिर के खसरा नंबर 548 रकबा 54 बीघा के किये गये विभाजन के विरूद्ध धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है चूंकि पक्षकारान के आपस में राजीनामा होना जाहिर किया है और अपील को आगे चलाना नही चाहते है, विड्रो करना चाहते है इस प्रकार रेस्पोडेंट के वकील को कोई एतराज नही है लिहाजा अपीलांट की अपील जरिये विड्रोवल खारिज की जाती है आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)	